बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 21

दिनांक 29.3.12

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– निलंबन / विभागीय कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–03.03.12 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक में यह बात उभर कर आई की निलंबन / विभागीय कार्यवाही का निष्पदान बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के तहत ससमय नहीं हो रही है।

कई मामले में दोष प्रमाणित नहीं होने पर भी मामले को निष्पादित नहीं किया जाता है, कई मामले में दोष प्रमाणित होते है तो दोष के अनुसार असमानुपातिक दण्ड (वृहद दण्ड) दे दिया जाता है जिसके कारण सदस्यों को न्यायालय का शरण लेना पड़ता है जहाँ उन्हें न्याय तो मिल जाता है लेकिन तबतक सदस्यों को समाजिक / आर्थिक नुकसान हो गया रहता है। उदाहरण स्वरूप (1) श्री खालिद अरशद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–732 / 08 सम्प्रति तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी दिनारा (रोहतास) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन वर्ष 2001 में प्रारंभ हुई जो वर्ष 2012 मार्च तक सम्पादित नहीं हो सका है। जबकि जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री अरशद पर लगे आरोप प्रमाणित नहीं होते है। विभागीय कार्यवाही संचालन के निष्पदान नहीं होने का दुष्परिणाम यह है कि उनका देय प्रोन्नति वर्ष 2001 से ही लंबित है।

(2) श्री सुधीर कुमार बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक–2060 / 1999 निलंबित तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदा किशनगंज को मात्र इस आधार पर निलंबित किया गया कि वे सक्षम पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बिना अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे थे। श्री सुधीर कुमार दिनांक–22.05.2009 से निलंबित है जबकि जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन है कि श्री सुधीर कुमार का अवकाश आवेदन अपर समाहर्त्ता एवं प्रभारी जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9473191199, 9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिव:- * राजचन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक :.................................. दिनांक ....

उपरोक्त दोनों बिन्दुपर दिनांक–11.05.2011 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ भवदीय से वार्ता के समय श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराया गया था परन्तु इन्हें अभीतक न्याय नहीं मिल पाया है।

(3) ज्ञात हुआ है कि प्रशिक्षु उप समाहर्त्ता को विभागीय परीक्षा में राजस्व पर्षद द्वारा नकल करने के प्रतिवेदन पर वर्खास्तगी का स्पष्टीकरण पूछा गया है। यह भी स्पष्टीकरण परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो किसी भी परीक्षा में नकल करने पर परीक्षार्थी को सदा के लिए परीक्षा देने से वंचित किये जाने का प्रावधान होता। ऐसे ही सदृश्य मामले में अन्य विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गयी है। पूर्व में भी इस प्रकार का सजा देने का कोई उदाहरण नहीं है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में विभाग द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 के अनुरूप निलंबन से मुक्ति एवं विभागीय कार्यवाही का ससमय निष्पादन किया जाना अपेक्षित है। दोष पाये जाने पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली,1976 में निर्धारित समानुपातिक दण्ड दी जाय। विभागीय परीक्षा में अनियमितता के मामले में परीक्षा संचालन नियमावली के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रशिक्षु उपसमाहर्त्ताओं के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। संघ विभाग से अपेक्षा करता है कि निर्धारित प्रावधान के अनुसार सदस्यों को विभाग स्तर पर ही न्याय मिले ताकि सदस्यों को न्यायालय का सहारा नहीं लेना पड़े।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)

महासचिव